रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 1991/कार्तिक 2, 1913
No. 383] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 1991/KARTIKA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1991

सा.का.नि. 645 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ (पहला संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989 का संशोधन

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124(1) तथा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन का न्यासी मण्डल, आगे मुरगांव पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :—

(1) (1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) (पहला संशोधन) विनियम, 1991 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) विद्यमान विनियम 2 में खण्ड "2" को निम्नलिखित खण्ड 2 से प्रतिस्थापित किया जाए इन विनियम के तहत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य के रूप में नाम लिखवाने का विकल्प कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर देना होगा। पहले ही सेवा निवृत्त या मुरगांव पत्तन न्यास में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा करने के बाद सेवाकाल में मृत/मृत होने वालों के मामले में सेवा निवृत्त, कर्मचारी और/अथवा आश्रित द्वारा इस प्रकार का विकल्प इन विनियमों के लागू होने या मृत्यु की तारीख से 2 वर्ष के भीतर, जो भी स्थिति है, प्रस्तुत करना होगा।

(3) विद्यमान विनियम "3" में खण्ड 3 के निम्नलिखित उप-खण्ड 'ग' को छोड़ दिया जाए और उपखण्ड 'घ' को खण्ड 'ग' के रूप में संख्या दिया जाए :

(ग) यदि इस प्रकार की शायिका या आश्रंटन सेवारत कर्मचारी और अथवा उनके आश्रितों को दिया गया है और बाद में इन विनियमों के तहत हिताधिकारी को शायिका की जरूरत है, तो सेवारत कर्मचारी और/अथवा उनके आश्रिती को समय से पहले छुट्टी नहीं दी जाएगी और इन विनियमों के तहत हिताधिकारी को शायिका की जरूरत है, तो उन्हें अस्पताल में शायिका उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

(4) विद्यमान विनियम 4 में निम्नलिखित खण्ड 4 को छोड़कर दिया जाए तथा खण्ड 5 को खण्ड 4 के रूप में पुनः संख्या दिया जाए।

खण्ड 4 : अस्पताल में रहते हुए रोगी के रूप में उपचार प्राप्त करते समय यदि भोजन दिया गया हो तो इसके लिए पूरे शुल्क के साथ 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा।

[फा.सं. पी.आर. 12012/15/91—पी ई-1]

अशोक ओझी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1991

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Contributory benefits after Retirement) (First Amendment) Regualtions, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Amendment to Mormugao Port Employees' (Contributory Medical Benefits after Retirement) Regulations, 1989.

In exercise of the power conferred by Section 28 read with Section 124(1) & (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Employees' Contributory Medical Benefits after Retirement) Regulations, 1989.

1. (i) These Regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Contributory Medical Benefits after Retirement) (First Amendment) Regs., 1991.

(ii) They shall come into force with effect from the date on published in the Gazette of India.

2. In existing Regulations 2, substitute Clause "2" by the following clause 2:

"Clause 2—The option to enroll as members for obtaining medical benefits under these Regulations should be given within two years from the date of retirement. In case of those who have already retired, died|may die while in service after completion of 10 years of continuous service in Mormugao Port Trust, such option should be exercised by the retired employee and|or dependent within two years from the date these Regulations came into effect or death as the case may be."

3. In existing Regulation "3" delete the following sub-Clause 'c' of Clause "3" and renumber sub-clause 'd' as Clause 'C' :

(c) In case such bed is allotted to the serving employee and/or his dependent and is subsequently required to accommodate the beneficiaries under these Regulations the serving employee, his/her dependent shall not be discharged prematurely and the beneficiaries under these Regulations requiring the bed will have to wait till a bed is available in the Hospital.

4. In existing Regulation 4 delete the following Clause 4 and renumber Clause 5 as Clause 4 :

Clause 4—When the diet is supplied while undergoing treatment as in-patient, a surcharge of 5 per cent will be levied in addition to the full charge for the same.

[No. PR-12012/15/91-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991